"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262-अ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2005—आश्विन 30, शक 1927

गृह विभाग (सी अनुभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

आदेश

क्रमांक एफ-4-266/दो/गृह-सी/2005.—चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किया जाने का प्रतिबंध किया जाये.

अतएव छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किए जाने की तारीख 22 अक्टूबर, 2005 से प्रतिषेध करती है.

अनुसूची

"भाटापारा नगर पालिका परिषद् की सफाई सेवा से संबंधित सभी कार्यों के लिये नियुक्त किये गये व्यक्ति (पर्सनल)"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2005

क्रमांक एफ-4-266/दो/गृह-सी/2005.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के खण्ड 3 (1) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-266/दो/गृह-सी/2005, दिनांक 22 अक्टूबर, 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, सचिव.

Raipur, the 22nd October 2005

ORDER

No. F-4-266/Two/Home-C/2005.—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the schedule below.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Chhattisgarh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979) the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential services specified in the schedule with effect from 22nd October, 2005.

SCHEDULE

"Personnel appointed for works relating to Safai Seva works in Nagar Palika Parishad Bhatapara Distt., Raipur"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. SUBRAMANIAM, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.